

परियोजना का नाम:-जनपद N. Tehri के विकास खण्ड Janpur.....

में RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial
(Approx 35 Poles per KM) from Yamuna Bridge.....
Kempty..... (Total Length 16.2 KM)

तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु
अपेक्षित भूमि 0.486 है वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम,
1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks
Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab)
को वन भूमि में अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/ के
परिवारों/जनसंख्या एवं पर्यटकों को लाभ प्राप्त होगा।

ग्राम	परिवार	जनसंख्या
<u>महौली</u>	<u>14</u>	<u>56</u>
<u>उम्पटी</u>	<u>17</u>	<u>90</u>
<u>संजी</u>	<u>11</u>	<u>52</u>



प्रयोक्ता एजेन्सी

VILLAGE NAME - भटौली, कैम्पटी, सैजी

Sr No	Name	Signature
1	रूपेश राणा	Rupesh
2	मोहन सिंह	Mohan
3	प्रमोद सिंह	Prasad
4	मिलन कुमार	Milun
5	पुनर नगी	P. Negi
6	हरन सिंह	Haran
7	श्रीम देवी	Shrim
8	मीना राणा	Meena
9		
10		

Sr No	Name - कैम्पटी	Signature
1	पंकज सिंह	Pankaj
2	राजूली देवी	Rajuli
3	प्रदीप सिंह	Pradip
4	मोहन कुमार	Mohan
5	सुरेन्द्र सिंह कण्ठारी	SURENDRA
6		
7		
8		
9		
10		

Sr No	Name सैजी	Signature
1	सीता मेगडि	Seeta
2	हितेश राणा	Hitesh.
3	अवतल सिंह	Avat
4	पूजा कर्मा	Pooja
5	पुष्पा देवी	Pushpa
6	गंगा सिंह	Ganga
7	राजेश	Rajesh
8		
9		
10		

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - भटौली, कैम्पली, सेंजी

तहसील - नैनगाँव

जिला - दे नई दिल्ली

उत्तराखण्ड में जनपद नई दिल्ली के विकास खण्ड Janpuri में RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Yamuna Bridge - kemply (Total Length 16.2 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि 0.486 है० वन भूमि को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत _____ द्वारा दिनांक 30-4-18 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम _____ के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.486 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division Industrial Area, Mohali(Punjab) के पक्ष में कार्य करने की अनुमति दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

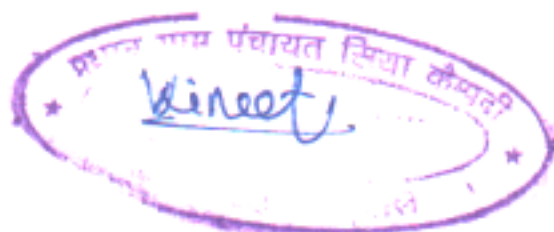
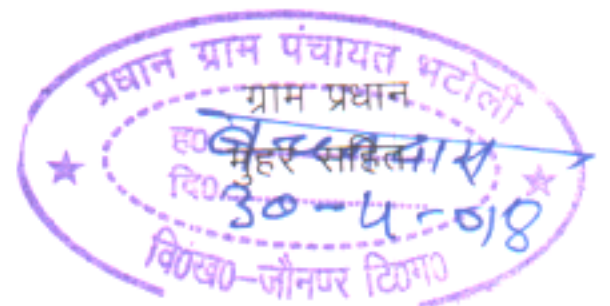
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०

ग्राम सचिव
मुहर सहित



ह०



कार्यालय – उप जिलाधिकारी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति,

उपखण्ड **N.Tehri** परिक्षेत्र के **Mussooni** वन प्रभाग की **कैम्पटी** रेंज के अन्तर्गत जनपद **N.Tehri** के विकास खण्ड **Jonpur** में **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Yamuna Bridge- kempty** (Total Length 16.2 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि 0.486 है0 तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab)** के पक्ष में वन भूमि में कार्य करने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील –) की दिनांक **31/5/18** को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | |
|----|--------------------------|---------------------------|----------|
| 1. | श्री सी.एन. कौर | उप जिलाधिकारी | अध्यक्ष। |
| 2. | श्री के.पी.एस. | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3. | श्री एच.एस. मेहता | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य। |
| 4. | श्री वि.एस. पटेल | बी0डी0सी0 क्षेत्र | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी **कैम्पटी** रेंज के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि चमोली वन प्रभाग के विकास खण्ड **Jonpur** में **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) Yamuna Bridge - kempty** (Total Length 16.2 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि 0.486 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab)** के पक्ष वन भूमि में कार्य करने की अनुमति दिए जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु में अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी (**मसुरी**) वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा रही है।

बैठक में सर्वसम्मति से **N.Tehri** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **Mussooni** वन प्रभाग के **कैम्पटी** रेंज अन्तर्गत जनपद **N.Tehri** के विकास खण्ड **Jonpur** में **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) Yamuna Bridge- kempty** (Total Length- 16.2 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि 0.486 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab)** को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

तहसील..... / जनपद-.....
 प्रतिलिपि – जिलाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

विहरी गढ़वाल
 उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
बनोली
विहरी गढ़वाल

उप जिलाधिकारी, द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद Natehm के विकास खण्ड Jonpur में RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from yamuna Bridge- kempu (Total Length 16.2 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि 0.486 है० वन भूमि में कार्य करने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पत्र सं० 11-9 /98-एफ०सी० दिनांक 05-02-2013 के द्वारा सड़क निर्माण, पारिषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त रखा गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित/आंबटित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आंबटित 0.486 है० वन भूमि / बंजर कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।



/ प्रयोक्ता

30/11/2018
राजस्व उपनिरीक्षक
कैम्पटी
तहसील-धनोली, टि०ग०

30/11/2018
राजस्व उप निरीक्षक
भटोली
तहसील नैनबाग, टि०ग०

30/11/2018
तहसीलदार
धनोली
टिहरी गढ़वाल

30/11/2018
उप जिलाधिकारी
धनोली
टिहरी गढ़वाल

Form-1
For linear projects
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector New Tehri

No.

Dated.....

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter no. 11-98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initialed and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial area, Mohali (Punjab)** for construction Row permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Yamuna Bridge To Kempty (Total Length- 16.2 KM) Tehsil Tiani (purpose for diversion of forest land) in NEW TEHRI district falls within jurisdiction of in Bhatoli, Samit, Kempty Villages in Dhanolti, Nam Bagh Tehsil. It is further certified that

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.486 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee (s) Gram sabha (s) sub- Division level committee (s) and the district level committee (s) are include as annexure to annexure.....
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as the required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram sabha have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.

Date :

Encl. As above.

सं.सं.सं. 12
16 2012/11/18
1578

Signature

(सैनिका)

(..... जिला अधिकारी)

Full name and official seal of District Collector

FORM-II

(For linear projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector New Tehri

No. 213 / XX4 - 12 (2017-2018)

Date: 6/4/18

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF, Government of India's letter No. 11-9/98-Fc (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA), for short on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified the _____ hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial area, Mohali (Punjab)** (name of user agency) for Construction of **Row permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Yamuna Bridge To Kempty (Total Length-16.2KM)** Tehsil Dhanoli, Naini Bhatti (purpose for diversion of forest land) in NEW TEHRI District falls within jurisdiction of Dhanoli, Naini Bhatti Tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire _____ hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committees (Gram Sabhas), sub-Division level committees and the District Level Committee are enclosed as annexure _____ to annexure _____.
- (b) The proposal for such diversion with full details of project and its implications, in vernacular (local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of Forest Dwellers, who are eligible under the FRA.
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities processed under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Bhatoli, Samji, Kempty villages (s) is enclosed as annexure _____ to annexure _____.
- (d) The discussion/decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of not less than 50% of the member of Gram Sabha Present.
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 2(c)(ii) of the FRA.

Encl: As above

(सैनिका)

जिला अधिकारी

दिल्ली

(Full Name of official seal of the District Collector)

(Put Name of official seal of the District Collector)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT NEW TEHRI (UTTARAKHAND)

**Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under
schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights)
Act (FRA). 2006.**

A meeting of the district level committee of New Tehri district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of **Mr./Mrs. (सोनिका),** I.A.S District collector, NEW TEHRI at NEW TEHRI in which application claiming rights in **Block-Dhanolti, Nain Bagh** area measuring **0.486hect.** for **Construction of Row permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Yamuna Bridge To Kempty (Total Length-16.2KM) District-New Tehri by Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial area, Mohali (Punjab) Tehsil-Mohali, Dis.-Punjab** forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:.....

Dated:.....


(सोनिका)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल
District Collector-cum-
Chairman District Level Committee